राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1408/III/14 — जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

20.5.2014

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 152 अ 6/11–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 7–3–14 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदिका के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा अनुविभागीय अधिकारी, सागर के आदेश दिनांक 7–3–14 का अवलोकन किया। अनुविभागीय अधिकारी सागर के आदेश दिनांक 7–3–14 का निष्कर्ष संक्षिप्ततः इस प्रकार है –

> "अपीलार्थी व्दारा इस न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 28–12–13 में सॅशोधन हेतु आवेदन 18–12–13 को प्रस्तुत किया गया है। अतः माह पश्चात् पारित आदेश में किसी भी प्रकार का सॅशोधन किया जाना न्यायोचित नहीं होने से अपीलार्थी का आवेदन CPC की धारा 151 का नस्तीबद्व किया जाता है। प्रकरण दा.रि.हो। "

3/ उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 7–3–14 अंतरिम आदेश नहीं है अपितु अंतिम आदेश है जिसके विरूद्व आवेदिका को सक्षम न्यायालय में अपील का उपचार प्राप्त है। आवेदिका चाहे, इस आदेश प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सक्षम न्यायालय में यदि अपील प्रस्तुत कर सकती है । आवेदिका व्दारा सक्षम न्यायालय

न्यायालय में अपील करने पर हितबद्धों को श्रवण कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित किया जावे। तदनुसार निगरानी इसी–स्तर निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। प्रकरण अंक से कम किया जाकर रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

सदस्य

28.5.14